



Sub 23,00,000 *for* *RS* *for* 92,000/- *66AA* 481669

नियम 21 के अधीन
 ग्राहक.....
 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1099
 की अनुसूची 1 के अंतर्गत
 स्टाम्प का शुल्क से निष्पत्ति
 जिला अर्थ नियंत्रक,
 चतरा

69,000
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 69004

नाम लेख्यकारी (विक्रेता)

मुदान तिवारी पिता-स्व० मोहन तिवारी, दादा-स्व० रामोतार तिवारी, जाति-ब्राह्मण राष्ट्रीयता-भारतीय, पेशा- कास्तकारी, साकिन मौजा-नगवां, चतरा, वार्ड नं०-21, प्रगना-अहुरी, थाना वो जिला-चतरा, पैन नं०- BLYPT1876K

नाम लेख्यधारी (क्रंता)

राजेश कुमार दाँगी पिता-श्री चमारी महतो, दादा-स्व० फगन महतो, जाति-कोयरी, राष्ट्रीयता -भारतीय, पेशा- कृषि, साकिन मौजा-लोवागड़ा, प्रगना-अहुरी, थाना वो जिला-चतरा, पैन नं०-BPPPD9058E

23,00,000 - 23,00,000 रुपये
 मुदान तिवारी
 मुदान तिवारी
 नगवां चतरा
 चतरा
 5/7/19

कॉपी का स्वतंत्रता में नहीं है
 जांचा एवं सही प्रमाण
 दस्तावेज जांचक
 अतिरिक्त
 प्रमाणिक किये जायें
 प्रमाणिक किये जायें
 प्रमाणिक किये जायें
 प्रमाणिक किये जायें

5/7/19



06AA 481670

लेख्य-प्रकार

केवाला वैयला कलामी (Sale Deed)

जरसमन

मौ० 23,00,000 /- (तेईस लाख) रू० नगद मात्र।

तफसील जायदाद सैय मोवईया व्यवसायिक मज्जया मोजी

मवाजी 05 डी० (पाँच डी०) जमीन व्यवसायिक हकियत
रैयती कायमी वाके मौजा नगवां, चतरा वार्ड नं०-21 अंदर
नगरपालिका, थाना-सदर, जिला-चतरा, प्रगना-अहुरी, थाना
नं०-182, तौजी नं०-28, हाल खेवट नं० 1 जिला रजिस्ट्री
वो जिला चतरा के खाता, प्लौट, रकबा, मधे रकबा, चौहदी
जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता नं०	प्लौट नं०	रकबा	मधे रकबा	चौहदी एकजाय
118 (एक सौ अठारह)	922 (नौ सौ बाईस)	28 डी० (अठाइस डी०)	03 डी० (तीन डी०)	उ०-देवा महतो द०-रास्ता पक्की पु०-आज का क्रेता नीतु कुमारी
128 (एक सौ अठाईस)	920 (नौ सौ बीस)	06 डी० (छः डी०)	02 डी० (दो डी०)	प०-आज का क्रेता हीरकलिया देवी

मुद्रा न हिवादी
5/7/19

दवाइ - मनीष कुमा (सिवादी)
मिना - 1-23 कुमा (सिवादी)
साज - इवर्ला (चतरा)

5/7/2019



06AA 481671

2 (दो)	2 (दो)	34 डी0 (चौतीस डी0)	5 डी0 (पाँच डी0)	
-----------	-----------	--------------------------	------------------------	--

जमा खाता एक, जमा प्लॉट दो, जमा विक्री रकबा-05 डी0
(पाँच डी0) जमीन वाके है। जिसका सालाना मालगुजारी

रु० 10 प्रस्ता अलावे शेष।

नाम मालिक-झारखण्ड सरकार, अंचल चतरा

यह कि उपरोक्त जायदाद लेख्यकारी के हकियत रैयती
कायमी खरीदगी केवाला नविस्ते रहीम भिया वगै० बनाम
बहक लेख्यकारी के पिता मोहन तिवारी के नाम से है।
जिसका बुक नं०-04, भौ० नं०-05 सन्-1967, पेज नं०-129
ता 132, वसिका नं०-2491 व तारीख 03.12.1966 ई० से
खरीद किये हैं। जिसपर खरीदगी तिथि से लेख्यकारी के
पिता कायम, काबिज दखलकार थे। बाद मरने पिता के उक्त
जायदाद पर लेख्यकारी कायम काबिज दखलकार रहकर
खाश आपसी हिस्सेदार में बंटवारा करके खाश अपने हक

मोहन तिवारी
5/7/19

मोहन तिवारी
5/7/19



06AA 481672

हिस्से का मधे जमीन लेख्यधारी सदर के साथ बिक्री करते हैं वो मालगुजारी अदाय कर सरकारी मालगुजारी रसीद लेख्यकारी अपने नाम से मांग पंजी II के पृष्ठ सं०-47/09 पर प्राप्त करते चले आते हैं वो हैं।

यह कि लेख्यकारी को जरूरत रुपये वास्ते कर्ज अदायगी वो चंद जायज वो जरूरी काम के अशद जरूरत है। इसलिए लेख्यकारी आज तारीख में अपनी राजी खुशी से बेला किसी डर वो दबाव के साथ लेख्यधारी सदर के साथ वाजीब किमत बाजार भाव तय कर बबदल किमत अदल बगिरफ्त मोवलिग 23,00,000/- (तेईस लाख) रू० नगद पाकर बहक वो बनाम लेख्यधारी मैय वारीसान लेख्यधारी सदर के केवाला वैयला कलामी हाजा रजिस्ट्री तहरीर वो तामील किया वो दखल कब्जा दे दिया। अब उक्त जायदाद से लेख्यकारी या वारिसान लेख्यकारी को कोई भी वास्ता सरोकार हक दावा दखल कब्जा, जोत हक वो हकुक कुछ भी नहीं रहा वो ना आइन्दे दावी करेंगे। वो उक्त जायदाद

अशद वारी
5/7/19



06AA 481673

हर एक वारदैन नुकश खलल पाये जाने पर मय असल वो हर्जा खर्चा के देनदार वो होंगे वो देंगे वो उनके चल या अचल सम्पत्ति से वसुल किया जायेगा।

यह कि जरसमन तमाम वो कमाल लेख्यकारी लेख्यधारी सदर से नगद कवल एकरार रजिस्ट्री के वसुल पा गये।

यह कि जरसमन मद में एक भी खर मोहरा लेख्यधारी सदर के पास बाकी नहीं रहा वो ला आइन्डे बाकी जरसमन का दावा करेंगे वो न होगा।

यह कि लेख्यधारी सदर सैयमोवईया जमीन पर काबिज दखलकार होकर वो रहकर अपना नाम से दाखिल खारीज कराके चतरा अंचल सिरिस्ता के मांग पंजी II में रैयत के हैसियत से नाम अंकित कराके प्रत्येक वर्ष मालगुजारी अदाय कर सरकारी रसीद प्राप्त करें।

इसलिए खुशी राजी स्वेच्छा से केवाला वैयला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे।

आज तारीख 05, माह जुलाई सन् 2019 ई०।

सुधान हिचारी
5/7/19



06AA 481674

घोषणा पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का वर्तमान श्रेणी आवासीय है, उसमें कोई संरचना पाती नहीं है/है इसके अनुसार मुद्रांक शुल्क दिया गया है।
2. खतियान के अनुसार भूमि रैयती है तथा आदिवासी खाते की नहीं है।
3. भारत या राज्य सरकार या किसी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहित नहीं है।
4. किसी भी धार्मिक स्थल/निकाय की भूमि नहीं है।
5. छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विक्रेता की जाति ब्राह्मण प्रतिबंधित सूची (BC-51, ST-32, SC-21) के अन्तर्गत नहीं है।
6. भूमि के हस्तांतरण/बिक्री पर किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय, के द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं है।

रिजिस्ट्रार
5/7/19



06AA 481675

7. उक्त भूमि किसी भी सरकारी श्रेणी, प्रतिबंधित श्रेणी या वन सीमा के अन्तर्गत नहीं है, गोचर भूमि नहीं है तथा सीलिंग से मुक्त है।
 8. किसी भी सार्वजनिक स्थल के रूप में व्यवहार में नहीं है।
 9. भूमि भूदान की नहीं है तथा हस्तारणीय है।
 10. केवाला के साथ सभी अनुलग्नक मेरे द्वारा सत्यापित है।
 11. विक्रेता/क्रेता द्वारा भूमि सत्यापन कर लिया गया है, तथा भूमि से संबंधित सभी कागजात की जांचोपरांत पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
- उपरोक्त सभी कथन सत्य है, विसंगति या त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में पक्षकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

श्रीमान् श्री
5/7/19

श्रीमान् श्री
विक्रेता का हस्ताक्षर



06AA 481676

क्रेता का हस्ताक्षर

राजेश कुमार दाँगी

विष्णु तिवारी

पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

विष्णु तिवारी
5/7/19

कम्प्यूटरीकृत

प्रशांत बनर्जी

प्रशांत बनर्जी

कार्ड गैलेरी, चतरा

प्रमोद कुमार दाँगी
प्रारूपकर्ता

प्रमोद कुमार दाँगी

दस्तावेज लेखक

ला० नं०-04/05



A 881011

झारखण्ड JHARKHAND

मदन तिवारी लेखक/कारि



चक्रवर्ती प्रमोद कुमारी



रिपोर्ट
5/12/15
अमर



राजेश कुमार दांगी

लेखक/धारी
राजेश कुमार दांगी

